रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/491/2019

पीठासीनः **डॉ0 मधुकर सिन्हा, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना**

संस्थन की तिथिः 04.12.2019
निर्णय की तिथिः 18.07.2024

रूपा देवी व अन्य,
सभी निवासी ग्राम– हार्ली,
पोस्ट– लोदीपुर, थाना–मुफ्फसिल, गया,
जिला– गया,
बिहार–823003 .... याची

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। ....उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
श्री रवि रंजन कुमार, अधिवक्ता–याची की ओर से
श्री आर के सिन्हा, अधिवक्ता–उत्तरदाता की ओर से

मधुकर 18/7

निर्णय

डॉ0 मधुकर सिन्हा, माननीय सदस्य (तकनीकी):

1. याचीगण रूपा देवी व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत दीपक कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक दीपक कुमार दिनांक 24.02.2019 को ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्रा टिकट PNR No. 6425996741 (पहाड़पुर से नई दिल्ली तक) के साथ ट्रेन सं0 12801 (पुरूषत्तम एक्सप्रेस) से दीनदयाल उपाध्याय जं0 से नई दिल्ली जा रहा था। मृतक जैसे ही दीनदयाल उपाध्याय जं0 पर ट्रेन में चढ़ा उक्त ट्रेन अचानक खुल गयी तथा ट्रेन से झटका लगने के कारण मृतक अचानक गया जं0 के प्लेटफॉर्म नं0 1 पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया तथा इस दुर्घटना उसे गंभीर चोटें आयी। तत्पश्चात उसे एनएमसीएच गया में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्रा टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि यह अनपेक्षित घटना का मामला नहीं है। मेमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता काल्पनिक मामला है। प्रस्तुत वाद तथ्यों पर एवं कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। गैरकानूनी रूप से मुआवजा प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा दाखिल किया गया है। दावा आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मुकदमा सुनी सुनाई बातों पर अथवा काल्पनिक रिपोर्ट पर आधारित है इसलिए इस वाद की असलियत संदेह के घेरे में है। मृतका को सदभावी यात्री सिद्ध करना

याची की जिम्मेवारी है अन्यथा मृतक को अनधिकृत रूप से रेलवे लाईन पार करने वाला माना जाएगा। याची मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतक गाड़ी संख्या 12801 का एक सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) (2) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदिका/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदिका/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में रूपा देवी को ए0डब्ल्यू 01 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्रा टिकट, मेमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, मृत शरीर चालान, रूपा देवी का आवेदन, एफ.आई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंतिम प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत लखनपुर द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के मूल की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

18/7

8. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन कुमार एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर के सिन्हा द्वारा बहस की गयी।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

10. दोनों वाद बिन्दु परस्पर सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन वाद बिन्दुओं में यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या मृतक गाड़ी संख्या 12801 का एक सद्भावी यात्री था एवं क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (C) (2) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 के अनुसारः–

धारा 123 (c):

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

12. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

धारा 2(29)–*"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"*

स्पष्टीकरण– *इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्ः–*

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

इस परिभाषा का तात्पर्य यह भी है कि जो व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है उसे यात्री नहीं माना जा सकता है।

13. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

धारा 124A– *अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर– जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जो उस यात्रा को जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गयी है, आश्रित को उसके बारे में अनुपोषण करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुयी मृत्यु या उसको हुयी क्षति द्वारा पहुँची हानि के*

लिए उस सीमा तक जो विहित की जाय और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होता है, अर्थात–

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचायी गयी क्षति;

(ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य;

(ड.) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुयी क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है।

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में मृतक दीपक कुमार दिनांक 24.02.2019 को ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्रा टिकट PNR No. 6425996741 (पहाड़पुर से नई दिल्ली तक) के साथ ट्रेन सं0 12801 (पुरूषत्तम एक्सप्रेस) से दीनदयाल उपाध्याय जं0 से नई दिल्ली जा रहा था। मृतक जैसे ही दीनदयाल उपाध्याय जं0 पर ट्रेन में चढा उक्त ट्रेन अचानक खुल गयी तथा ट्रेन से झटका लगने के कारण मृतक अचानक गया जं0 के प्लेटफॉर्म नं0 1 पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया तथा इस दुर्घटना उसे गंभीर चोटें आयी। तत्पश्चात उसे एनएमसीएच गया में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। ऑनलाइन रिजर्वेशन यात्रा टिकट की प्रति दावा आवेदन के साथ संलग्न की गयी है।

15. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि मृतक न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी की सद्भावी यात्री थी और न ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुयी। याचीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यात्रा टिकट गलत एवं भ्रामक है।

16. याचिनी के द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है उसका सत्यापन कराकर उसे गलत साबित करने का भार उत्तरदाता पर था। उत्तरदाता द्वारा टिकट का सत्यापन कराकर न्यायाधिकरण के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रतिकूल प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे साबित होता है कि मृतक वैध यात्रा टिकट साथ यात्रा कर रहा था।

17. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"...mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। याचीगण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष यात्रा टिकट की मूलप्रति प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ अब जिम्मेदारी उत्तरदाता पक्ष की थी कि वह इस टिकट की वैधता का खण्डन करे। उत्तरदाता इस टिकट को अवैध साबित करने में असमर्थ रहा है।

18. याचीगण ने याचिका में अभिकथन किया है कि मृतक जैसे ही दीनदयाल उपाध्याय जं0 पर ट्रेन में चढ़ा उक्त ट्रेन अचानक खुल गयी तथा ट्रेन से झटका लगने के कारण मृतक अचानक गया जं0 के प्लेटफॉर्म नं0 1 पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया तथा

इस दुर्घटना उसे गंभीर चोटें आयी। तत्पश्चात उसे एनएमसीएच गया में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

19. उप स्टेशन प्रबंधक पूर्व मध्य रेल, गया द्वारा Sr. D.M.O. O.S (GRP), गया को जारी मेमो के अनुसार–

जी.आर.पी. से प्राप्त सूचना के अनुसार 12801 UP EXP से एक व्यक्ति पुरूष उम्र लगभग 34 वर्ष का है ट्रेन से गिर कर घायल हो गया है। कृपया उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मेमो में मृतक के ट्रेन से गिरने की बात को स्वीकार किया गया है।

20. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम सं0 9 में मृत्यु का कारण–

मृतक की मृत्यु गाड़ी सं0 12801 अप से गिरकर जख्मी होने एवं इलाज के क्रम में एनएमसीएच गया में मृत्यु होना पाया गया।

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी टिकट की बरामदगी का उल्लेख है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 174 के अनुसार बनाया गया एक सरकारी पत्र है। चूंकि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद बनाया जाता है इसलिए इसकी विश्वसनीयता साधारणतः सत्यता के सन्निकट मानी जा सकती है।

21. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार–

मृत्यु का कारण: Haemorrhage and Shock and chest and abdominal organ injuries may be due to RTA.

तथा मृत्यु का समय: Time elapsed since death within 12 to 24 hrs.

22. पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार–

मृतक की मृत्यु गाड़ी संख्या 12801 अप पुरूषोत्तम एक्सप्रेस से गिरकर गम्भीर जख्मी होने एवं इलाज के क्रम में एनएमसीएच गया में मृत्यु होना अंतिम प्रतिवेदन सं0 9/19 दिनांक 26.02.2019 समर्पित करता हूँ।

पुलिस फाइनल रिपोर्ट में भी मृतक की चलती ट्रेन से गिरकर मृत्यु होने की बात को स्वीकार किया गया है।

23. वैधानिक विवेचना आख्या के जांच रिपोर्ट के अनुसार–

कॉलम 12 के अुनसार–

यात्रा टिकट जिसका पीएनआर सं0 6425996741 पहाड़पुर–नई दिल्ली बोर्डिंग स्टेशन डीडीयू पाया गया।

कॉलम 21 के अुनसार–

1. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।

2. कार्यरत गार्ड द्वारा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी है।

इस प्रकार वैधानिक विवेचना आख्या में भी मृतक का यात्रा टिकट लेकर यात्रा करने की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

24. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक उक्त ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत रेलगाड़ी से अनपेक्षित दुर्घटना के कारण गिर जाने से आयी चोटों से हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा–123 (सी)(2) सपठित धारा 124A रेल अधिनियम 1989 के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

25. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन है? ए.डब्ल्यू–1 रूपा देवी के शपथ पत्र के अनुसार, रूपा देवी (मृतक की पत्नी), स्नेहा कुमारी, अन्नू कुमारी (दोनों ही मृतक की अवयस्क पुत्री), अमन कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) एवं कुंती देवी (मृतक की माता) ही मृतक के आश्रित और प्रतिकर पाने के अधिकारी है। याचीगण द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत लखनपुर द्वारा जारी पारिवारिक सूची प्रमाणपत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन हमारे मत में पूर्णतः सिद्ध है।

26. हमारे मत में याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

27. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या–877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/–(आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

28. आवेदकगण का आवेदन पत्र मुबलिग ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

कम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	रूपा देवी	पत्नी	37	₹4,00,000	₹60,000	₹3,40,000
2.	स्नेहा कुमारी	पुत्री	17	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
3.	अमन कुमार	पुत्र	14	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
4.	अन्नू कुमारी	पुत्री	8	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*
5.	कुंती देवी	माता	67	₹1,00,000	₹20,000	₹80,000

29. नोटः– * स्नेहा कुमारी, अन्नू कुमारी (दोनों ही मृतक की अवयस्क पुत्री) एवं अमन कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उनके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

30. स्नेहा कुमारी, अन्नू कुमारी (दोनों ही मृतक की अवयस्क पुत्री) एवं अमन कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) का अंश उनकी माता रूपा देवी के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम,

उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनकी माता रूपा देवी अपने अवयस्क पुत्र/पुत्री के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

31.(a)प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याची द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस

न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याची के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याची की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक याची को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

13/7

32. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

मधुकर सिन्हा
18-07-2024

(डॉ0 मधुकर सिन्हा)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 18.07.2024

Railway Claims Tribunal
Patna

No. OA(IIu)/PNBE/491/2019

Rupa Devi Vs Union of India, through GM, E.C. Railways, Hajipur

ORDER SHEET

Date	Proceeding of the Bench	Notes of the Registrar
18.07.2024	For the reasons stated in the Judgment placed alongside: *Vide* Judgment delivered in separate sheets the OA is allowed, on contest, on its merit. The respondent Railway Administration is directed to pay to the applicants Rs.8,00,000/- along with interest. The respondent railway is directed to deposit the awarded amount within 30 days from the date of communication of this award with the Registry of this Bench, failing which the claimants shall be entitled to an interest @ 9% per annum for the default period. The respondent railway will furnish the proof of deposit of the awarded amount with up-to-date interest along with a calculation sheet to the Registry/RCT/Patna. The applicant will appear in person before the Registry/RCT/Patna along with the following for verification: 1) Bank Account details opened near her place of residence. Passbook must contain the necessary endorsement by the Branch Manager of the concerned bank that "No cheque book and/or debit card has been issued." If it has already been issued, there should be endorsement that "cheque book and/or debit card has been cancelled and the same shall not be issued without the permission of the RCT." The endorsement must be signed and stamped by the bank official. 2) Aadhaar Card and PAN Card or any other appropriate I.D. Card. 3) Two sets of photographs and specimen signature of the claimant. After complete verification of the claimants, RCT office will release the payment to the claimants within 90 days from the date of verification of all documents or from the date of receipt of confirmation of payment received from the respondent railway whichever is later. ***Let a free copy of this order be served to both sides.*** Madhukar Sinha 18-07-2024 (Dr. Madhukar Sinha) Member (Technical) RCT/Patna	